न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या – 2025 / 149

सिविल प्रकरण संख्याः– 29 / 2025 तारीख रजू 13.06.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।

..........आवेदक

बनाम

1. हरिकेश बैरवा पुत्र श्री राम लाल बैरवा, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म –4, सवाई माधोपुर घर का पता– ग्राम हाडोडी, जिला करौली (राज.) 322033 (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. मुकेश कुमार सैनी पुत्र सीताराम सैनी 352, लाल बाजार, भगवतगढ, सवाईमाधोपुर (सप्लायर)
3. जे.के मिष्ठान भण्डार मानसिंह चौराहा, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर–322702 (फर्म)
4. रामदेव प्रजापत पुत्र नानगराम प्रजापत मैसर्स जे.के मिष्ठान भण्डार मानसिंह चौराहा, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर–322702 (प्रोप. / लाईसेंसी)

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स –2011

निर्णयः– **दिनांक 04 / 09 / 2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश चंद मीना (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 14.06.2024 को सवाई माधोपुर जंक्शन प्लेटफार्म सं. 04 गंगापुरसिटी साईड से समय 16.00 बजे ''Maava (Khova)'' बिल्टी नं. 2 20203–55627 / 1 जून–2024 गाडी सं. 12316 आगरा से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से आया है, जो कि मुकेश कुमार सैनी के नाम बिल्टी है एवं मैसर्स जे.के. मिष्ठान भण्डार मानसिंह चौराहा, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर–322702 श्री हरिकेश बैरवा द्वारा बताया गया। आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए ''Maava (Khova)'' में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 02 किग्रा. ''Maava (Khova)'' वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 600 / – रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ ''Maava (Khova)'' मात्रा 500 gm X 04 part = 02 kg को 4 बराबर–बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में 500–500 ग्राम ''Maava (Khova)'' को 04 पीवीसी बोटल्स में भरकर प्रत्येक पार्ट में 40–40 बूंद प्रिजरवेटिव फोरमेलिन डालकर अच्छी तरफ मिलाया गया एवं ढक्कन लगाकर प्रत्येक जार को पैक किया गया। इसके पश्चात नमूने का लेवल तैयार कर लेवल पर आवेदक द्वारा एवं खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] बैरवा एवं गवाह श्री बनवारीलाल मीना ने हस्ताक्षर किये। अभीहित अधिकारी [illegible] क्रमांक डब्ल्यूसीआर / 915–1423 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी [illegible] में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:40 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिका
एवं अति॰ जिला मजि

कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–1423 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। कारोबारकर्ता हरिकेश बैरवा को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त संग्रह किये गये नमूने का चौथे भाग की जांच प्रत्यायित प्रयोगशाला से करवाना चाहते हैं। लेकिन कारोबारकर्ता हरिकेश बैरवा ने इस बाबत कोई अनुरोध नहीं किया। कारोबारकर्ता हरिकेश बैरवा को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया कि उक्त खाद्य सामग्री उसने कहां से खरीदी है। इसकी खरीद का कोई बिल, बीजक, कैश मेमो, इनवॉइस यदि हो तो प्रस्तुत करें लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता हरिकेश बैरवा द्वारा इस संबंध में ''Maava (Khova)'' की खरीद का कोई बिल घटना स्थल पर प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता हरिकेश बैरवा, गवाह एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0602/एफएसएसए दिनांक 11.07.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2677/एक्ट/2024/2536 दिनांक 28.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ ''Maava (Khova)'' का नमूना Sub-standard पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Sub-standard खाद्य पदार्थ ''Maava (Khova)'' का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से अभियुक्त संख्या 4 उपस्थित हुये तथा प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र [illegible] आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ ''Maava (Khova)'' [illegible] प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं [illegible] (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम [illegible] किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:40 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियुक्त संख्या 4 ने पेश किये गये जबाव अनुसार बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **खाद्य पदार्थ** "Maava (Khova)" का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रकरण में गलती स्वीकार करते हुए अभियुक्त संख्या 4 ने निवेदन किया कि प्रार्थी मावे का निर्माता नहीं है। मावे अन्य जगह से आता है। अभियुक्त संख्या 4 द्वारा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 की जिम्मेदारी लेते हुए भविष्य में गलती नहीं दोहराने का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2677/एक्ट/2024/2536 दिनांक 28.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** "Maava (Khova)" सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में गलती स्वीकार की गई है तथा भविष्य में गलती नहीं दोहराने का निवेदन किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** "Maava (Khova)" का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 पर संयुक्त रूप से 40,000/–रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **04.09.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:40 IST
Reason: SelfAttested